


22.1.2020.

पत्रावली पेश। प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील अनुपस्थित।  
रुक-रुक कर तीन बार आवाज लंगवाइ गई।  
बावजूद इसके कोई उपस्थित नहीं। इससे यह  
प्रतीत होता है कि प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील  
प्रथाना - पत्र को लेकर गम्भीर नहीं है, अतः  
प्रथाना - पत्र अदम हाजिरी - अदम पेरवी में  
इसी स्तर पर खारिज किया जाता है।  
पत्रावली फैसल शुमार होकर, नम्बर से कम  
की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

  
22/1/2020  
सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट  
(फास्ट ट्रेक) सांचीर (जालोर)

